संख्या–17/2021//1863/78-01-2021-03 आई0टी0/2020एलसी

प्रेषक,

डा0 उज्जवल कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

उद्योग निदेशक,
कानपुर, उ0प्र0।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-1 लखनऊ: दिनांक: 15 दिसम्बर, 2021

विषय: मैसर्स सैमसंग इण्डिया इलेक्ट्रानिक्स प्रा0लि0 द्वारा मैसर्स सैमसंग डिस्पले नोएडा प्रा0लि0 के पक्ष में निष्पादित अन्तरण विलेख पर निवेशक द्वारा अदा किये गये स्टाम्प शुल्क के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी के पत्र संख्या–यूपीएलसी:इलेक्ट्रानिक्स पॉलिसी:2021-22(एस.डी.एन.)/508, दिनांक 07 जून, 2021 के क्रम में उल्लिखित एवं संलग्न जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर के पत्र संख्या-733/स्टाम्प लिपिक/2021, दिनांक 17-11-2021, पत्र संख्या-675/स्टाम्प लिपिक/2021, दिनांक 08-10-2021, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा के पत्र संख्या-नोएडा/मु0व0नि0/2021/2233, दिनांक 28-10-2021 एवं स्टाम्प एवं राजिस्ट्रेशन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-13/2020/1459/94-स्टा0नि0-2-2020-700(21)/ 2020, दिनांक 22 दिसम्बर, 2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक लेखाशीर्षक ''2852-उद्योग,07-दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग,202- इलेक्ट्रानिक्स,20-उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति का कार्यान्वयन, 27-सब्सिडी मद में प्राविधानित धनराशि रू0 5000.00 लाख (रूपये पचॉस करोड मात्र) में से मैसर्स सैमसंग इण्डिया इलेक्ट्रानिक्स प्रा0लि0 द्वारा मैसर्स सैमसंग डिस्पले नोएडा प्रा0लि0 के पक्ष में निष्पादित अन्तरण विलेख पर निवेशक द्वारा अदा किये गये स्टाम्प शुल्क धनराशि रु0 3,40,95,800.00 (रूपये तीन करोड चालीस लाख पन्चानवे हजार आठ सौ मात्र) की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त धनराशि को निदेशक उद्योग के निर्वतन पर रखे जाने तथा प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 लखनऊ द्वारा आहरित कर निम्नलिखित शर्तों के अधीन व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-1 के प्रपत्र संख्या-6(ए)(संशोधित) द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 लखनऊ द्वारा बिल बनाकर उसे संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। उद्योग निदेशक, उ0प्र0 कानपुर, आहरण तथा वितरण का पूरा लेखा-जोखा अपने यहां भी रखेंगे।

(2) उद्योग निदेशक द्वारा वित्त विभाग के आदेश संक्ष्या-बी-1-417/10-2013-16/94, दिनांक 26 फरवरी, 2013 में दी गयी प्रक्रियानुसार सेंट्रल सर्वर के माध्यम से सम्बन्धित कोषागार को बजट आवंटन भेजे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए स्वीकृत किया जा रहा है।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा धनराशि के व्यय के उपरान्त उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उ0प्र0, उद्योग निदेशक, कानपुर तथा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) स्वीकृत धनराशि का आहरण राज्यकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा।

(6) किसी परिस्थिति में धनराशि को पूर्व से आहरित करके एकमुश्त पी0एल0ए0/बैंक खाते/अन्य किसी खाते में नही रखा जायेगा।

(7) स्वीकृत धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 24-03-2020, 07-04-2020, 11-04-2020 व 18-05-2020 तथा अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) धनराशि से संबंधित आंकडों की शुद्धता सुनिश्चित कर ली जायेगी।

(9) उक्त धनराशि के सदुपयोग की समीक्षा अपर मुख्य सचिव, आई0टी0 एवं इले0 विभाग द्वारा समय-समय पर की जायेगी।

(10) स्वीकृत धनराशि लाभार्थी इकाई/संस्था को सीधे बैंक खाते में अन्तरित की जायेगी।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-7, उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के लेखाशीर्षक ''2852-उद्योग,07-दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग,202- इलेक्ट्रानिक्स,20-उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति का कार्यान्वयन, 27-सब्सिडी मद'' के नामे डाला जायेगा।

3- यह वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
ड0 उज्जवल कुमार
विशेष सचिव।

संख्या-17/2021/1863(1)/78-1-2021 तददिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- प्रधान महालेखाकार(लेखा-परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
4- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।
5- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ, उ0प्र0।
7- संयुक्त निदेशक, उद्योग लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
8- प्रबन्ध निदेशक, यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
9- राज्य समन्वयक सेन्टर फार ई-गवर्नेन्स लखनऊ।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/नियोजन अनु0-4
11- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/लघु उद्योग अनु0-3/ औद्योगिक विकास अनु0-2
12- अनु सचिव, आई0टी0 एवं इले0 विभाग/आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
बराती लाल
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।